बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संख्या–15/ आरोप–ट्रैप (बांका) 02–176/2026–.....(15)/रा0, दिनांक–.....

विशेष निगरानी ईकाई (SVU) के प्रेस विज्ञप्ति द्वारा श्री रविकांत कुमार, अंचल अधिकारी, चान्दन, बांका को परिवादी श्री सियाराम कुमार, पिता–वासुदेव यादव, ग्राम–झा टोला मोरवे, पो0–लोहारी, थाना–चान्दन, जिला–बांका से टाईटिल सूट केस संख्या–2395/95 में पारित आदेश के आलोक में वादी को संबंधित जमीन पर दखल कब्जा दिलाने के एवज में 20,000/–(बीस हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए विशेष निगरानी ईकाई (SVU) के धावादल द्वारा दिनांक–09.09.2026 को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

2. विशेष निगरानी ईकाई (SVU) द्वारा की गयी कार्रवाई के आधार पर मामले की गंभीरता (भ्रष्ट आचरण) को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा **श्री रविकांत कुमार, अंचल अधिकारी, चान्दन, बांका** को गिरफ्तार किये जाने की तिथि–09.09.2026 से निलम्बित करने का निर्णय लिया गया है।

3. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–9 की कंडिका–1 की उप कंडिका–'क' एवं 'ग' तथा कंडिका–2 में अन्तर्निहित प्रावधानों के आलोक में गिरफ्तार किये जाने की **तिथि–09.09.2026 के प्रभाव से निलम्बित** किया जाता है।

4. निलम्बन अवधि के दौरान श्री कुमार का **मुख्यालय–भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, शास्त्रीनगर, बिहार, पटना** निर्धारित किया जाता है, जहाँ हिरासत से मुक्त होने के उपरान्त वे अपना योगदान समर्पित करेंगे, जहाँ वे नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज करेंगे।

5. निलम्बन अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 10 (1) के प्रावधानों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(डॉ0 महेन्द्र पाल)
अपर सचिव।

ज्ञापांक :–15/ आरोप–ट्रैप (बांका) 02–176/2026–.....(15)/रा0, पटना– 15, दिनांक–.....

निबंधित ई–मेल

प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, पटना/समाहर्त्ता, बांका/जिला कोषागार पदाधिकारी, बांका एवं सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

समाहर्त्ता, बांका से अनुरोध है कि श्री रविकांत कुमार के विरूद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर (साक्ष्य सहित) विभाग को **अविलम्ब** उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
(डॉ0 महेन्द्र पाल)
अपर सचिव।

(17)

ज्ञापांक :– 15/ आरोप–ट्रैप (बांका) 02–176/2026–.....(15)/रा0, पटना– 15, दिनांक–.....

निबंधित

प्रतिलिपि :– विशेष निगरानी ईकाई (SVU), 05, दारोगा प्रसाद राय पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(डॉ0 महेन्द्र पाल)
अपर सचिव।

ज्ञापांक :– 15/ आरोप–ट्रैप (बांका) 02–176/2026–.....(15)/रा0, पटना– 15, दिनांक–.....

निबंधित

प्रतिलिपि :– श्री रविकांत कुमार, अंचल अधिकारी, चान्दन, बांका **(स्थायी पताः–पिता–श्री उदय प्रसाद सिंह, ग्राम+पो0–गोनकुरा, थाना–चण्डी, जिला–नालन्दा, पिन–803108)** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(डॉ0 महेन्द्र पाल)
अपर सचिव।

ज्ञापांक :–15/ आरोप–ट्रैप (बांका) 02–176/2026–1814(15)/रा0, पटना– 15, दिनांक–07/10/26

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0/ मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/10/26

(डॉ0 महेन्द्र पाल)
अपर सचिव।